



Introduction	
<p>Consideration is an essential element of a valid contract without which no single promise will be enforceable. It is a term used in the sense of <i>quid pro quo</i>, i.e., 'something in return'. Having a double aspect of a benefit to the promisor and a detriment to the promisee, it has to be really understood in the sense of some detriment as envisaged by English Law. In this Unit, we shall try to understand the concept of consideration and also the legal requirements regarding consideration.</p>	<p>प्रतिफल एक वैध अनुबंध का अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना कोई भी वचन लागू नहीं किया जा सकता। यह शब्द 'बदले में कुछ' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें दो पहलू होते हैं—वचनदाता को लाभ और वचनग्राही को हानि। अंग्रेज़ी विधि के अनुसार, इसे वास्तव में एक प्रकार की हानि के रूप में समझा जाना चाहिए। इस इकाई में हम प्रतिफल की अवधारणा तथा उससे संबंधित विधिक आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे।</p>
What is consideration?	प्रतिफल क्या है?
<p>Consideration is the price agreed to be paid by the promisee for the obligation of the promisor. The word consideration was described in a very popular English case of Misa v. Currie as:</p>	<p>प्रतिफल वह मूल्य है जिसे वचनग्राही, वचनदाता के दायित्व के बदले में देने के लिए सहमत होता है। 'प्रतिफल' शब्द का वर्णन एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी मामले <i>मिसा बनाम करी</i> में इस प्रकार किया गया है:</p>
<p>"A valuable consideration in the sense of law may consist</p>	<p>"कानून की दृष्टि में मूल्यवान प्रतिफल का अर्थ यह है कि यह या</p>



<p>either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party (i.e. promisor) or forbearance, detriment, loss or responsibility given, suffered or undertaken by the other (i.e. the promisee).”</p>	<p>तो किसी एक पक्ष (अर्थात् वचनदाता) को प्राप्त होने वाले किसी अधिकार, हित, लाभ या फायदा के रूप में हो सकता है, या फिर दूसरे पक्ष (अर्थात् वचनग्राही) द्वारा दिया गया, सहा गया या वहन किया गया संयम, हानि, नुकसान या दायित्व हो सकता है।”</p>
<p>Section 2(d) defines consideration as follows:</p>	<p>“धारा 2(द) प्रतिफल को निम्न प्रकार परिभाषित करती है:”</p>
<p>“When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise”.</p>	<p>“जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्राही या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है, या करता है या करने से विरत रहता है, अथवा करने या न करने का वचन देता है, तो ऐसा कार्य, विरति या वचन उस प्रतिज्ञा के लिए प्रतिफल कहलाता है।”</p>
<p>(1) Consideration is an act-doing something.</p>	<p>(1) प्रतिफल एक क्रिया है—कुछ करना।</p>
<p>Example 1: Ajay guarantees Bhuvan for payment of price of the goods which Bhuvan</p>	<p>उदाहरण 1: अजय, चैतन्य को एक महीने के उधार पर सामान बेचने के लिए भूवन को मूल्य के भुगतान की</p>

<p>wanted to sell on one month credit to Chaitanya. Here selling of goods on credit by Bhuvan to Chaitanya is consideration for A's promise.</p>	<p>गारंटी देता है। यहाँ चैतन्य को भूवन द्वारा उधार पर सामान बेचना, अजय के वचन के लिए प्रतिफल है।</p>
<p>Example 2: A college promises students, who will score above 95% for the job in MNC. Consideration need not to be monetary. Here the promise for recruitment of candidate will be considered as consideration for the act of students scoring above 95%.</p>	<p>उदाहरण 2: एक कॉलेज उन छात्रों को, जो 95% से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करता है। प्रतिफल का मौद्रिक होना आवश्यक नहीं है। यहाँ उम्मीदवार की भर्ती का वादा, छात्रों द्वारा 95% से अधिक अंक प्राप्त करने के कार्य के लिए प्रतिफल माना जाएगा।</p>
<p>(2) Consideration is abstinence - abstain from doing something.</p>	<p>(2) प्रतिफल संयम है—किसी कार्य को करने से विरत रहना।</p>
<p>Example 3: Abhishek promises Bharti not to file a suit against him if she (Bharti) would pay him (Abhishek) ` 1,00,000. Here abstinence on the part of Abhishek would constitute consideration against Bharti's payment of ` 1,00,000 in favor of Abhishek.</p>	<p>उदाहरण 3: अभिषेक, भारती से यह वादा करता है कि यदि वह (भारती) उसे (अभिषेक) 1,00,000 रुपये दे दे, तो वह उसके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं करेगा। यहाँ अभिषेक द्वारा मुकदमा न करने का संयम, भारती द्वारा अभिषेक के पक्ष में</p>

	1,00,000 रुपये के भुगतान के बदले प्रतिफल माना जाएगा।
Example 4: ABC has a shop of electric items. XYZ wishes to open another electric shop next to his shop. ABC offers Rs 2,00,000 to XYZ for shifting the same away from 1 km of ABC's shop. Here, consideration is given for abstaining XYZ from opening his shop nearby.	उदाहरण 4: ABC की विद्युत सामान की एक दुकान है। XYZ अपनी दुकान के पास एक और विद्युत दुकान खोलना चाहता है। ABC, XYZ को अपनी दुकान से 1 किमी दूर स्थानांतरित करने के लिए 2,00,000 रुपये देने का प्रस्ताव देता है। यहाँ, XYZ को अपनी दुकान पास में न खोलने से विरत रहने के लिए प्रतिफल दिया गया है।
(3) Consideration must be at the desire of the promisor.	(3) "प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए।"
(4) Consideration may move from promisee or any other person.	(4) प्रतिफल प्रवाहित हो सकता है
(5) Consideration may be past, present or future.	"(5) प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमान या भविष्यकालीन हो सकता है।"
Thus, from above it can be concluded that:	अतः, उपर्युक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

Consideration = Promise / Performance that parties exchange with each other.	प्रतिफल = वह वचन या प्रदर्शन जिसे पक्षकार आपस में आदान-प्रदान करते हैं।
Form of consideration = Some benefit, right or profit to one party / some detriment, loss, or forbearance to the other.	प्रतिफल का रूप = एक पक्ष को कुछ लाभ, अधिकार या मुनाफा / दूसरे पक्ष को कुछ हानि, नुकसान या संयम।
Legal rules regarding consideration	प्रतिफल के संबंध में विधिक नियम
(i) Consideration must move at the desire of the promisor:	(i) प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए:
Consideration must be offered by the promisee or the third party at the desire or request of the promisor. This implies “return” element of consideration. Contract of marriage in consideration of promise of settlement is enforceable.	प्रतिफल वचनदाता की इच्छा या अनुरोध पर वचनग्राही या किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रतिफल में “प्रतिदान” का तत्व होना आवश्यक है। निपटान के वचन के प्रतिफल में किया गया विवाह अनुबंध प्रवर्तनीय होता है।
An act done at the desire of a third party is not a consideration.	किसी तीसरे पक्ष की इच्छा पर किया गया कार्य प्रतिफल नहीं माना जाता है।

<p>In <i>Durga Prasad v. Baldeo</i>, D (defendant) promised to pay to P (plaintiff) a certain commission on articles which would be sold through their agency in a market. Market was constructed by P at the desire of the C (Collector), and not at the desire of the D. D was not bound to pay as it was without consideration and hence void.</p>	<p>दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव के मामले में, D (प्रतिवादी) ने P (वादी) को उन वस्तुओं पर एक निश्चित कमीशन देने का वादा किया, जो उनके माध्यम से बाजार में बेची जाएँगी। यह बाजार P ने C (कलेक्टर) की इच्छा पर बनाया था, न कि D की इच्छा पर। इसलिए D भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं था, क्योंकि यह बिना प्रतिफल (consideration) के था और इसलिए शून्य (void) था।</p>
<p>Example 5: R saves S's goods from fire without being asked to do so. R cannot demand any reward for his services, as the act being done voluntary.</p>	<p>उदाहरण 5: R बिना किसी अनुरोध के S के सामान को आग से बचाता है। R अपनी सेवाओं के लिए कोई पारिश्रमिक मांग नहीं सकता, क्योंकि यह कार्य स्वेच्छा से किया गया था।</p>
<p>(ii) Consideration may move from promisee or any other person:</p>	<p>(ii) प्रतिफल वचनग्राही या किसी अन्य व्यक्ति से भी प्राप्त हो सकता है।</p>
<p>In India, consideration may proceed from the promisee or any other person who is not a party to the contract. The definition of consideration as given in Section 2(d) makes that proposition clear. According to the definition,</p>	<p>भारत में प्रतिफल वचनग्राही या किसी अन्य व्यक्ति से भी आ सकता है, जो अनुबंध का पक्षकार न हो। धारा 2(घ) में दी गई प्रतिफल की परिभाषा इस बात को स्पष्ट करती है। इस परिभाषा के अनुसार, जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्राही या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य</p>

<p>when at the desire of the promisor, the promisee or any other person does something such an act is consideration. In other words, there can be a stranger to a consideration but not stranger to a contract.</p>	<p>करता है, तो ऐसा कार्य प्रतिफल माना जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रतिफल के लिए कोई व्यक्ति अपरिचित (stranger) हो सकता है, परंतु अनुबंध के लिए अपरिचित नहीं हो सकता।</p>
<p>Example 6: An old lady made a gift of her property to her daughter with a direction to pay a certain sum of money to the maternal uncle by way of annuity. On the same day, the daughter executed a writing in favour of the brother agreeing to pay annuity. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. [Chinnayya vs. Ramayya (1882)]</p>	<p>उदाहरण 6: एक वृद्ध महिला ने अपनी संपत्ति अपनी पुत्री को इस निर्देश के साथ उपहार में दी कि वह मातुल (मामा) को वार्षिकी के रूप में एक निश्चित धनराशि का भुगतान करे। उसी दिन, पुत्री ने अपने भाई के पक्ष में एक लिखित दस्तावेज निष्पादित किया, जिसमें उसने वार्षिकी देने के लिए सहमति व्यक्त की। हालांकि, पुत्री ने वार्षिकी का भुगतान नहीं किया और मामा ने उसे प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर किया। यह निर्णय दिया गया कि मामा के पास पुत्री से धन वसूलने के लिए पर्याप्त प्रतिफल था। [चिन्नैया बनाम रमैय्या (1882)]</p>
<p>(iii) Executed and executory consideration:</p>	<p>(iii) निष्पादित तथा निष्पाद्य प्रतिफल:</p>
<p>A consideration which consists in the performance of an act is said to be executed. When it</p>	<p>जो प्रतिफल किसी कार्य के संपादन में निहित होता है, उसे निष्पादित प्रतिफल कहा जाता है। जब</p>

<p>consists in a promise, it is said to be executory. The promise by one party may be the consideration for an act by some other party, and vice versa.</p>	<p>प्रतिफल किसी वचन में निहित होता है, तो उसे कार्यपालनीय प्रतिफल कहा जाता है। एक पक्ष द्वारा किया गया वचन किसी अन्य पक्ष के कार्य के लिए प्रतिफल हो सकता है, और इसके विपरीत भी।</p>
<p>Example 7: A pays ₹5,000 to B and B promises to deliver to him a certain quantity of wheat within a month. In this case, A pays the amount, whereas B merely makes a promise. Therefore, the consideration paid by A is executed, whereas the consideration promised by B is executory.</p>	<p>उदाहरण 7: A, B को ₹5,000 देता है और B एक महीने के भीतर उसे एक निश्चित मात्रा में गेहूँ देने का वचन देता है। इस मामले में, A राशि का भुगतान करता है, जबकि B केवल वचन देता है। इसलिए, A द्वारा दिया गया प्रतिफल निष्पादित है, जबकि B द्वारा वादा किया गया प्रतिफल निष्पादनीय है।</p>
<p>(iv) Consideration may be past, present or future:</p>	<p>(iv) प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमानकालीन या भविष्यकालीन हो सकता है:</p>
<p>The words “has done or abstained from doing” [as contained in Section 2(d)] are a recognition of the doctrine of past consideration. In order to support a promise, a past consideration must move by a previous request. It is a general principle that consideration is given and accepted in exchange</p>	<p>“ने किया है या करने से विरत रहा है” [जैसा कि धारा 2(घ) में निहित है] शब्द भूतकालीन प्रतिफल के सिद्धांत की मान्यता हैं। किसी वचन का समर्थन करने के लिए भूतकालीन प्रतिफल का उत्पन्न होना पूर्व अनुरोध के आधार पर होना चाहिए। यह एक सामान्य सिद्धांत है कि प्रतिफल वचन के बदले में दिया</p>

<p>for the promise. The consideration, if past, may be the motive but cannot be the real consideration of a subsequent promise. But in the event of the services being rendered in the past at the request or the desire of the promisor, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous.</p>	<p>और स्वीकार किया जाता है। यदि प्रतिफल भूतकालीन हो, तो वह प्रेरणा हो सकता है, परंतु बाद में किए गए वचन का वास्तविक प्रतिफल नहीं हो सकता। किंतु यदि सेवाएँ पूर्व में वचनदाता के अनुरोध या इच्छा पर प्रदान की गई हों, तो बाद का वचन इस बात की स्वीकृति माना जाता है कि भूतकालीन प्रतिफल निःशुल्क नहीं था।</p>
<p>Example 8: 'A' performed some services to 'B' at his desire. After a week, 'B' promises to compensate 'A' for the work done by him. It is said to be past consideration and A can sue B for recovering the promised money.</p>	<p>उदाहरण 8: 'A' ने 'B' की इच्छा पर उसके लिए कुछ सेवाएँ प्रदान कीं। एक सप्ताह बाद, 'B' ने 'A' को उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पारिश्रमिक देने का वादा किया। इसे भूतकालीन प्रतिफल कहा जाता है और 'A', 'B' से वादा की गई राशि की वसूली के लिए उस पर मुकदमा कर सकता है।</p>
<p>Example 9: A cash sale of goods is an example of present consideration. The consideration is immediately made against delivery of goods.</p>	<p>उदाहरण 9: वस्तुओं की नकद बिक्री वर्तमान प्रतिफल का एक उदाहरण है। वस्तुओं की डिलीवरी के बदले प्रतिफल तुरंत दिया जाता है।</p>

<p>(v) Consideration need not be adequate:</p>	<p>(v) प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है:</p>
<p>Consideration need not to be of any particular value. It need not be approximately of equal value with the promise for which it is exchanged but it must be something which the law would regard as having some value. Something in return need not be equal to something given. It can be considered a bad bargain of the party.</p>	<p>प्रतिफल का किसी विशेष मूल्य का होना आवश्यक नहीं है। यह उस वचन के लगभग समान मूल्य का होना भी आवश्यक नहीं है जिसके बदले में इसका आदान-प्रदान किया जा रहा है, लेकिन यह ऐसा कुछ अवश्य होना चाहिए जिसे कानून कुछ मूल्यवान मानता हो। बदले में दी जाने वाली वस्तु, दी गई वस्तु के बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसे पक्षकार का एक खराब सौदा माना जा सकता है।</p>
<p>It may be noted in this context that Explanation 2 to Section 25 states that an agreement to which the consent of the promisor is freely given is not void merely because the consideration is inadequate.</p>	<p>यह इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है कि धारा 25 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, वह समझौता केवल इस कारण शून्य नहीं होता कि प्रतिफल अपर्याप्त है, बशर्ते वचनदाता की सहमति स्वतंत्र रूप से दी गई हो।</p>
<p>But as an exception if it is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free than this inadequate consideration can be taken as evidence in support of this allegation.</p>	<p>लेकिन अपवादस्वरूप, यदि प्रतिफल अत्यन्त कम हो और दूसरा पक्ष यह आरोप लगाए कि उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, तो इस अपर्याप्त प्रतिफल को उस आरोप के समर्थन में साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है।</p>

<p>Example 10: X promises to sell a house worth ₹60 lacs for ₹10 lacs only, the adequacy of the price in itself shall not render the transaction void, unless the party pleads that transaction takes place under coercion, undue influence or fraud.</p>	<p>उदाहरण 10: X, 60 लाख मूल्य के एक मकान को केवल 10 लाख में बेचने का वादा करता है। केवल मूल्य की अपर्याप्तता अपने आप में इस लेन-देन को शून्य नहीं बनाएगी, जब तक कि कोई पक्ष यह दावा न करे कि यह लेन-देन दबाव, अनुचित प्रभाव या धोखाधड़ी के अधीन हुआ है।</p>
<p>(vi) Performance of what one is legally bound to perform:</p>	<p>(vi) वह कार्य करना जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति विधिक रूप से बाध्य है:</p>
<p>The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be consideration for a contract. Hence, a promise to pay money to a witness is void, for it is without consideration. Hence, such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay to his counsel after the latter has been engaged, a certain sum over and above the fee, in the event of success of the case would be void, since it is without consideration.</p>	<p>किसी ऐसे कार्य का निष्पादन, जिसे करने के लिए कोई व्यक्ति विधिक रूप से बाध्य है, किसी संविदा के लिए प्रतिफल नहीं हो सकता। अतः किसी गवाह को धन देने का वचन शून्य होता है, क्योंकि वह प्रतिफल के बिना होता है। इसलिए, प्रतिफल के अभाव में ऐसी संविदा शून्य होती है। इसी प्रकार, किसी मुवक्किल द्वारा अपने वकील को नियुक्त किए जाने के बाद, मुकदमे में सफलता प्राप्त होने की स्थिति में निर्धारित फीस से अतिरिक्त एक निश्चित राशि देने का समझौता भी शून्य होगा, क्योंकि वह प्रतिफल के बिना है।</p>

<p>Example 11: A promise to pay ₹2,000 to a doctor over the fees is invalid as it is the duty of a doctor to give a treatment for his normal fees.</p>	<p>उदाहरण 11: किसी डॉक्टर को उसकी सामान्य फीस के अतिरिक्त 2,000 देने का वादा अवैध है, क्योंकि सामान्य फीस पर उपचार करना डॉक्टर का कर्तव्य है।</p>
<p>But where a person promises to do more than he is legally bound to do or such a promise provided it is not opposed to public policy, is a good consideration. It should not be vague or uncertain.</p>	<p>लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति वह करने का वचन देता है, जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है उससे अधिक करता है, या ऐसा वचन जो लोक नीति के विरुद्ध नहीं है, तो वह एक अच्छा प्रतिफल माना जाता है। यह अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होना चाहिए।</p>
<p>(vii) Consideration must be real and not illusory:</p>	<p>(vii) प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं।</p>
<p>Consideration must be real and must not be illusory. It must be something to which the law attaches some value. If it is legally or physically impossible it is not considered valid consideration.</p>	<p>प्रतिफल वास्तविक होना चाहिए और काल्पनिक नहीं होना चाहिए। यह ऐसा कुछ होना चाहिए जिसे कानून कुछ मूल्य प्रदान करता हो। यदि वह कानूनी या भौतिक रूप से असंभव है, तो उसे वैध प्रतिफल नहीं माना जाता।</p>
<p>Examples 12: A man promises to discover treasure by magic, bringing the dead person to live again. This transaction can be said to be void as it is illusory.</p>	<p>उदाहरण 12: एक व्यक्ति जादू द्वारा खजाना खोजने तथा मृत व्यक्ति को पुनः जीवित करने का वचन देता है। यह लेन-देन मायावी (भ्रामक) होने के कारण शून्य माना जा सकता है।</p>

<p>(viii) Consideration must not be unlawful, immoral, or opposed to public policy.</p>	<p>(viii) प्रतिफल अवैध, अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।</p>
<p>Only presence of consideration is not sufficient it must be lawful. Anything which is immoral or opposed to public policy also cannot be valued as valid consideration.</p>	<p>प्रतिफल का केवल अस्तित्व पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका वैध होना भी आवश्यक है। जो कोई भी वस्तु अनैतिक हो या लोकनीति के विरुद्ध हो, उसे भी वैध प्रतिफल नहीं माना जा सकता।</p>
<p>Example 13: ABC Ltd. promises to give job to Mr. X in a Government bank against payment of ` 50,000 is void as the promise is opposed to public policy.</p>	<p>उदाहरण 13: एबीसी लिमिटेड द्वारा श्री एक्स को ₹50,000 के भुगतान के बदले एक सरकारी बैंक में नौकरी दिलाने का वादा शून्य है, क्योंकि यह वादा लोक नीति के विरुद्ध है।</p>
<p>Suit by a third party to a contract</p>	<p>संविदा के तृतीय पक्ष द्वारा वाद</p>
<p>Though under the Indian Contract Act, 1872, the consideration for an agreement may proceed from a third party, the third party cannot sue on contract. Only a person who is party to a contract can sue on it.</p>	<p>यद्यपि भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अंतर्गत किसी समझौते के लिए प्रतिफल किसी तृतीय पक्ष से प्राप्त हो सकता है, फिर भी तृतीय पक्ष संविदा पर वाद दायर नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति, जो संविदा का पक्षकार है, उस पर वाद दायर कर सकता है।</p>

<p>Thus, the concept of stranger to consideration is a valid and is different from stranger to a contract.</p>	<p>इस प्रकार, प्रतिफल के प्रति बाहरी व्यक्ति की अवधारणा वैध है और यह अनुबंध के प्रति बाहरी व्यक्ति से भिन्न है।</p>
<p>Example 14: P who is indebted to Q, sells his property to R and R promises to pay off the debt amount to Q. If R fails to pay, then in such situation Q has no right to sue, as R is a stranger to contract.</p>	<p>उदाहरण 14: P, जो Q का ऋणी है, अपनी संपत्ति R को बेच देता है और R, Q को ऋण की राशि चुकाने का वचन देता है। यदि R भुगतान करने में असफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में Q को मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि R अनुबंध का बाहरी व्यक्ति है।</p>
<p>The aforesaid rule, that stranger to a contract cannot sue is known as a “doctrine of privity of contract”, is however, subject to certain exceptions. In other words, even a stranger to a contract may enforce a claim in the following cases:</p>	<p>उपर्युक्त नियम कि अनुबंध का बाहरी व्यक्ति वाद नहीं कर सकता, “अनुबंध की प्राइविटी के सिद्धांत” के नाम से जाना जाता है, तथापि यह कुछ अपवादों के अधीन है। दूसरे शब्दों में, अनुबंध का बाहरी व्यक्ति भी निम्नलिखित परिस्थितियों में अपने दावे को प्रवर्तित कर सकता है:</p>
<p>(1) In the case of trust</p>	<p>(1) न्यास के मामले में</p>
<p>A beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and the trustee.</p>	<p>लाभार्थी ट्रस्ट के अंतर्गत अपने अधिकार को लागू कर सकता है, यद्यपि वह सेटलर और ट्रस्टी के बीच हुए अनुबंध का पक्षकार नहीं था।</p>

<p>(2) In the case of a family settlement</p>	<p>(2) पारिवारिक समझौते के मामले में</p>
<p>if the terms of the settlement are reduced into writing, the members of family who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement.</p>	<p>यदि समझौते की शर्तों को लिखित रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, तो परिवार के वे सदस्य जो मूल रूप से उस समझौते के पक्षकार नहीं थे, भी उस समझौते को लागू करा सकते हैं।</p>
<p>Example 15: Two brothers X and Y agreed to pay an allowance of ₹20,000 to mother on partition of joint properties. But later they denied to abide by it. Held their mother although stranger to contract can require their sons for such allowance in the court of law.</p>	<p>उदाहरण 15: दो भाइयों X और Y ने संयुक्त संपत्तियों के विभाजन पर अपनी माता को ₹20,000 भत्ता देने के लिए सहमति व्यक्त की। लेकिन बाद में उन्होंने इसका पालन करने से इंकार कर दिया। निर्णय दिया गया कि उनकी माता, यद्यपि अनुबंध की पक्षकार नहीं थीं, फिर भी वे न्यायालय में अपने पुत्रों से ऐसे भत्ते की मांग कर सकती हैं।</p>
<p>(3) In the case of certain marriage contracts/arrangements</p>	<p>"(3) कुछ विवाह संबंधी अनुबंधों/व्यवस्थाओं के मामले में,"</p>
<p>A provision may be made for the benefit of a person, he may file the suit though he is not a party to the agreement.</p>	<p>किसी व्यक्ति के लाभ के लिए कोई प्रावधान किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति समझौते का पक्षकार न होने पर भी मुकदमा दायर कर सकता है।</p>

<p>Example 16: Mr. X's wife deserted him for ill-treating her. Mr. X promised his wife's father Mr. Puri that he will treat her properly or else pay her monthly allowance. But she was again ill-treated by her husband. Held, she has all right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri even though she was stranger to contract.</p>	<p>उदाहरण 16: श्री एक्स की पत्नी ने उसके दुर्व्यवहार के कारण उसे छोड़ दिया। श्री एक्स ने अपनी पत्नी के पिता श्री पुरी से वादा किया कि वह उसकी पत्नी के साथ उचित व्यवहार करेगा, अन्यथा उसे मासिक भत्ता देगा। लेकिन उसके पति द्वारा फिर से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। निर्णय दिया गया कि वह, यद्यपि अनुबंध की पक्षकार नहीं थी, फिर भी श्री एक्स और श्री पुरी के बीच हुए अनुबंध के आधार पर श्री एक्स के विरुद्ध मुकदमा करने का पूरा अधिकार रखती है।</p>
<p>(4) In the case of assignment of a contract</p>	<p>(4) संविदा के हस्तांतरण के मामले में</p>
<p>When the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract but such assignment should not involve any personal skill.</p>	<p>जब किसी अनुबंध के अंतर्गत लाभ का हस्तांतरण कर दिया जाता है, तब हस्तांतरण प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस अनुबंध को लागू करा सकता है, परंतु ऐसा हस्तांतरण किसी व्यक्तिगत कौशल से संबंधित नहीं होना चाहिए।</p>
<p>Example 17: Mr. Ankit Sharma has assigned his insurance policy to his son.</p>	<p>उदाहरण 17: श्री अंकित शर्मा ने अपनी बीमा पॉलिसी अपने पुत्र को हस्तांतरित कर दी है। अब पुत्र दावा</p>

Now son can claim even if he was not a party to contract.	कर सकता है, भले ही वह अनुबंध का पक्षकार न रहा हो।
(5) Acknowledgement or estoppel	(5) स्वीकृति या अभिस्वीकृति
where the promisor by his conduct acknowledges himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards third party.	जहाँ वचनदाता अपने आचरण द्वारा स्वयं को तृतीय पक्ष का अभिकर्ता स्वीकार करता है, वहाँ यह तृतीय पक्ष के प्रति एक बाध्यकारी दायित्व उत्पन्न करेगा।
Example 18: If L gives to M ₹20,000 to be given to N, and M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money. N will be entitled to recover the same from the former i.e. M.	उदाहरण 18: यदि L, M को N को देने के लिए ₹20,000 देता है, और M, N को यह सूचना देता है कि वह यह धन उसके लिए रखे हुए है, लेकिन बाद में M उस धन का भुगतान करने से इंकार कर देता है, तो N को पूर्व वाले अर्थात् M से वह धन वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा।
(6) In the case of covenant running with the land, the person who purchases land with notice that the owner of land is bound by certain duties affecting land, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller.	(6) भूमि के साथ चलने वाले अनुबंध के मामले में, जो व्यक्ति इस सूचना के साथ भूमि खरीदता है कि भूमि का स्वामी भूमि से संबंधित कुछ दायित्वों से बंधा हुआ है, तो भूमि को प्रभावित करने वाले वचन (कवनेंट) को विक्रेता के उत्तराधिकारी द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है।

<p>Example 19: One owner of the land having two land adjacent to each other. One was agricultural land. He sold the other land containing a condition that it can never be used for Industrial purpose so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land so who so ever is the successor of land has to abide by it. Such are called restrictive covenants and all successor are bind to it.</p>	<p>उदाहरण 19: एक व्यक्ति दो परस्पर सटे हुए भू-खंडों का स्वामी था। उनमें से एक कृषि भूमि थी। उसने दूसरी भूमि को इस शर्त के साथ बेचा कि उसका उपयोग कभी भी औद्योगिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, ताकि दूसरी कृषि भूमि को प्रदूषण से सुरक्षित रखा जा सके। ऐसी शर्त भूमि के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए जो भी उस भूमि का उत्तराधिकारी होगा, उसे उस शर्त का पालन करना होगा। ऐसी शर्तों को प्रतिबंधात्मक अनुबंध कहा जाता है और सभी उत्तराधिकारी उनसे बंधे होते हैं।</p>
<p>(7) Contracts entered into through an agent:</p>	<p>(7) एजेंट के माध्यम से किए गए अनुबंध:</p>
<p>The principal can enforce the contracts entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority and in the name of the principal.</p>	<p>प्रधान अपने अभिकर्ता द्वारा किए गए उन अनुबंधों को प्रवर्तित करा सकता है, जहाँ अभिकर्ता ने अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर तथा प्रधान के नाम पर कार्य किया हो।</p>
<p>Example 20: Prashant appoints Abhinav as his agent to sell his house. Abhinav sells house to Tarun. Now Prashant has right to recover the price from Tarun.</p>	<p>उदाहरण 20: प्रशांत, अभिनव को अपना मकान बेचने के लिए अपना अभिकर्ता नियुक्त करता है। अभिनव मकान को तरुण को बेच</p>

	देता है। अब प्रशांत को तरुण से मूल्य वसूल करने का अधिकार है।
Validity of an agreement without consideration	प्रतिफल के बिना समझौते की वैधता
The general rule is that an agreement made without consideration is void (Section 25). In every valid contract, consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains certain exceptions to this rule. In the following cases, the agreement though made without consideration, will be valid and enforceable.	सामान्य नियम यह है कि बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य होता है (धारा 25)। प्रत्येक वैध अनुबंध में प्रतिफल का बहुत महत्व होता है। कोई अनुबंध तभी प्रवर्तनीय हो सकता है जब उसमें प्रतिफल मौजूद हो। तथापि, भारतीय अनुबंध अधिनियम में इस नियम के कुछ अपवाद दिए गए हैं। निम्नलिखित मामलों में, प्रतिफल के बिना किया गया समझौता भी वैध और प्रवर्तनीय होगा।
1. Natural Love and Affection:	1. प्राकृतिक प्रेम और स्नेह:
Conditions to be fulfilled under section 25(1)	धारा 25(1) के अंतर्गत पूर्ण की जाने वाली शर्तें
(i) It must be made out of natural love and affection between the parties.	(i) यह पक्षकारों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया होना चाहिए।

(ii) Parties must stand in near relationship to each other.	(ii) पक्षों के बीच निकट संबंध होना चाहिए।
(iii) It must be in writing.	(iii) यह लिखित रूप में होना चाहिए।
(iv) It must also be registered under the law.	(iv) इसे विधि के अंतर्गत पंजीकृत होना भी आवश्यक है।
A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation (e.g., husband and wife) to each other is enforceable even without consideration.	पक्षों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह पर आधारित, निकट संबंध (जैसे पति और पत्नी) रखने वाले व्यक्तियों के मध्य किया गया लिखित एवं पंजीकृत समझौता, प्रतिफल के बिना भी प्रवर्तनीय होता है।
Example 21: A husband, by a registered agreement promised to pay his earnings to his wife. Held the agreement though without consideration, was valid.	उदाहरण 21: एक पति ने पंजीकृत समझौते द्वारा अपनी आय अपनी पत्नी को देने का वचन दिया। यह निर्णय दिया गया कि बिना प्रतिफल के होने पर भी वह समझौता वैध था।
Example 22: A out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter- in -law a golden necklace worth ` 5,00,000. 'A' made the promise in writing and signed it and registered. The agreement is valid.	उदाहरण 22: 'A' स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण अपनी नवविवाहित पुत्रवधू को ₹5,00,000 मूल्य का सोने का हार देने का वचन देता है। 'A' ने इस वचन को लिखित रूप में किया, उस पर हस्ताक्षर किए तथा उसका पंजीकरण भी कराया। यह समझौता वैध है।

2. Compensation for past voluntary services:	पूर्व में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिफल:
A promise to compensate, wholly or in part, a person who has already voluntarily done something for the promisor, is enforceable under Section 25(2). In order that a promise to pay for the past voluntary services be binding, the following essential factors must exist:	प्रवर्तक के लिए पहले ही स्वेच्छा से कुछ कर चुके व्यक्ति को पूर्णतः या आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति करने का वचन, धारा 25(2) के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है। अतीत में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान करने का वचन बाध्यकारी होने हेतु निम्नलिखित आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है:
(i) The services should have been rendered voluntarily.	(i) सेवाएँ स्वेच्छा से प्रदान की गई होनी चाहिए।
(ii) The services must have been rendered for the promisor.	(ii) सेवाएँ वचनदाता के लिए प्रदान की गई होनी चाहिए।
(iii) The promisor must be in existence at the time when services were rendered.	(iii) वचनदाता उस समय अस्तित्व में होना चाहिए जब सेवाएँ प्रदान की गई थीं।
(iv) The promisor must have intended to compensate the promisee.	(iv) वचनदाता का आशय वचनग्राही को प्रतिपूर्ति करने का होना चाहिए।
Example 23: P finds R's wallet and gives it to him. R promises	उदाहरण 23: पी को आर का बटुआ मिलता है और वह उसे आर को दे देता है। आर, पी को ₹10,000 देने

to give P `10,000. This is a valid contract.	का वचन देता है। यह एक वैध अनुबंध है।
Example 24: Mr. X had helped his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay Rs. 10,000. Held, this is a valid contract as it is compensation to past services.	उदाहरण 24: श्री X ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके अपने भतीजे श्री Y को न्यायालय में एक मुकदमा लड़ने में सहायता की। श्री Y के मुकदमा जीतने के बाद, उसने श्री X को 10,000 रुपये देने का वचन दिया। निर्णय हुआ कि यह एक वैध अनुबंध है क्योंकि यह पूर्व में दी गई सेवाओं के प्रतिफल के रूप में क्षतिपूर्ति है।
3. Promise to pay time barred debt:	3. कालबाधित ऋण का भुगतान करने का वचन:
Where a promise in writing signed by the person making it or by his authorised agent, is made to pay a debt barred by limitation it is valid without consideration [Section 25(3)].	जहाँ किसी ऋण के भुगतान का वचन, जो परिसीमा के कारण अवरोधित हो चुका है, उस व्यक्ति द्वारा या उसके अधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में किया जाता है, वहाँ वह बिना प्रतिफल के भी वैध होता है [धारा 25(3)]।
Example 25: A is indebted to C for `60,000 but the debt is barred by the Limitation Act. A	उदाहरण 25: A, C का 60,000 का ऋणी है, परन्तु यह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा बाधित हो चुका है।

<p>sign a written promise now to pay `50,000 in final settlement of the debt. This is a contract without consideration, but enforceable for `50,000 only.</p>	<p>A अब ऋण के अंतिम निपटान के रूप में ₹50,000 भुगतान करने का एक लिखित वचन देता है। यह प्रतिफल के बिना किया गया अनुबंध है, किन्तु केवल ₹50,000 तक ही प्रवर्तनीय (enforceable) है।</p>
<p>4. Agency</p>	<p>4. अभिकरण</p>
<p>According to Section 185 of the Indian Contract Act, 1872, no consideration is necessary to create an agency.</p>	<p>भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 185 के अनुसार, अभिकरण (एजेंसी) की स्थापना के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है।</p>
<p>5. Completed gift:</p>	<p>5. पूर्ण उपहार:</p>
<p>In case of completed gifts, the rule no consideration no contract does not apply. Explanation (1) to Section 25 states “nothing in this section shall affect the validity as between the donor and donee, of any gift actually made.” Thus, gifts do not require any consideration.</p>	<p>पूर्ण हो चुके उपहारों (gifts) के मामले में “बिना प्रतिफल के कोई अनुबंध नहीं” का नियम लागू नहीं होता। धारा 25 की व्याख्या (1) कहती है कि “इस धारा में कोई भी बात वास्तव में किए गए किसी उपहार की दाता और प्राप्तकर्ता के बीच वैधता को प्रभावित नहीं करेगी।” अतः, उपहारों के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती।</p>



<p>6. Bailment:</p>	<p>6. निक्षेप (बेलमेंट):</p>
<p>No consideration is required to affect the contract of bailment. Section 148 of the Indian Contract Act, 1872, defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose. This delivery is made upon a contract that post accomplishment of the purpose, the goods will either be returned or disposed of, according to the directions of the person delivering them. No consideration is required to affect a contract of bailment.</p>	<p>बेलमेंट के अनुबंध को प्रभावी करने के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 148 बेलमेंट को इस प्रकार परिभाषित करती है कि किसी उद्देश्य के लिए वस्तुओं का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द किया जाना। यह सुपुर्दगी इस अनुबंध पर की जाती है कि उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात वस्तुओं को या तो वापस कर दिया जाएगा अथवा उन्हें सुपुर्द करने वाले व्यक्ति के निर्देशानुसार उनका निपटान किया जाएगा। बेलमेंट के अनुबंध को प्रभावी करने के लिए किसी प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है।</p>
<p>Example 26: Mr. A hand over the keys of his godown to Mr. Y as Mr. Y had deposited his goods in the same. Mr. Y gets possession of godown but not the ownership. As soon as Mr. Y lifts his goods from godown</p>	<p>उदाहरण 26: श्री ए ने अपने गोदाम की चाबियाँ श्री वाई को सौंप दीं क्योंकि श्री वाई ने अपना माल उसी गोदाम में जमा किया था। श्री वाई को गोदाम का कब्जा प्राप्त होता है, परंतु स्वामित्व नहीं। जैसे ही श्री वाई अपना माल गोदाम से उठा लेता है,</p>



he is liable to hand over the keys back to Mr. A.	वह चाबियाँ वापस श्री ए को सौंपने के लिए बाध्य हो जाता है।
7. Charity:	दान:
If a promisee undertakes the liability on the promise of the person to contribute to charity, there the contract shall be valid. (Kadarnath v. Gorie Mohammad)	यदि प्रतिज्ञाग्राही किसी व्यक्ति द्वारा दान में योगदान देने के वचन पर दायित्व ग्रहण करता है, तो वहाँ अनुबंध वैध होगा। (कदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद)
Example 27: Mr. G promised Mr. K, the secretary of committee of temple to donate 1,00,000 for renovation of that temple. On the faith of his promise, secretary has incurred some cost for renovation. Now secretary can claim from Mr. G even the contract was without consideration.	उदाहरण 27: श्री जी ने मंदिर समिति के सचिव श्री के से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 1,00,000 रुपये दान देने का वचन दिया। उनके वचन पर विश्वास करके सचिव ने जीर्णोद्धार के लिए कुछ खर्च कर दिया। अब सचिव श्री जी से राशि की मांग कर सकता है, यद्यपि यह अनुबंध प्रतिफल के बिना था।